प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 4266/2020

1 – श्रीमती. उमथी बाई @खोरबाहरीन साहू पिता स्वर्गीय बारसेन लगभग 62 वर्ष, निवासी गाँव बोरडीह, तहसील–चूरिया जिला–राजनंदगांव (छत्तीसगढ़), जिलाःराजनंदगांव, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, रायपुर (छत्तीसगढ़), जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – अधीक्षक अभियंता पीडब्ल्यूडी दुर्ग मंडल जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़), जिलाःदुर्ग, छत्तीसगढ़

3 – कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी (बी तथा आर) प्रभाग कार्यालय, राजनंदगांव जिला–राजनंदगांव(छत्तीसगढ़), जिलाःराजनंदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतुः––श्री एच. एस. अहलूवालिया, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण हेतु :––श्रीमती मुक्ता त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता।

माननीय श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी,न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

27/03/2025

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता निम्नलिखित अनुतोष की मांग कर रहा हैः---

"10.1 माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी को इस माननीय न्यायालय के अवलोकन हेतु पूरे अभिलेख प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है।

10.2 माननीय न्यायालय कृपया वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार करने की कृपा करें तथा उत्तरवादीगण को निर्देश दें कि वे नियमों के तहत उस तिथि से निश्चित नियमित वेतनमान प्रदान करें, जिस तिथि को याचिकाकर्ता ने स्थायी कार्यभारित वेतनभोगी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त किया था।

10.3 माननीय न्यायालय उत्तरवादीगण को निर्देश दें कि वे स्थायी कार्यभारित वेतनभोगी कर्मचारी को देय सभी लाभ प्रदान करें।

10.4 कोई अन्य अनुतोष जिसे यह माननीय न्यायालय उपयुक्त और उचित समझे, उसे भी याचिका की लागत के साथ याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को उसके पति स्वर्गीय बरसेन की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत 24.05.1999 को नियुक्त किया गया था, जो उप-मंडल खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव में पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग में स्थायी गैंगमैन के रूप में कार्यरत थे। याचिकाकर्ता को सेवा में स्थायी गैंगमैन के रूप में नियुक्त किया गया था और 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी, वर्तमान याचिका दायर करने तक, उसे नियमित वेतनमान का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त राहत की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर की है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को उत्तरवादी विभाग में "स्थायी गैंगमैन" के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए उसकी सेवा शर्त 'मॉडल नियम' अर्थात कार्यभारित और आकस्मिकता वेतनभोगी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्त नियम, 1975 के अंतर्गत लागू होगी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) (कार्यभारित और आकस्मिकता वेतनभोगी कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 (इसके बाद "पेंशन नियम, 1979") के नियम 2(सी) के अनुसार, आकस्मिकता और कार्यभारित कर्मचारी, जिन्होंने 1 जनवरी, 1974 को या उसके बाद पंद्रह वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, स्थायी कर्मचारी होंगे।वर्तमान प्रकरण में, याचिहेतुकर्ता ने प्रत्यर्थी-विभाग के साथ हेतुर्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए, पेंशन के उद्देश्य से, उसने 23.05.2014 पर 15 वर्ष की आवश्यक आवश्यकता को पूरा कर लिया था, इस प्रहेतुर, वह मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) हेतुर्य-प्रभारित तथा आकस्मिक भुगतान वाले कर्मचारी वेतन नियम, 1977 के संशोधनों के अनुसार वेतनमान प्राप्त करने की हकदार है, जिसमें 'गैंगमैन' के पद को अनुलग्नक-1, वेतन के संशोधित पैमाने (नियम 3 देखें) में क्रम संख्या (xvii) में दिखाया गया था। हेतुर्य प्रभारित या आकस्मिक वेतन पाने वाले कर्मचारी द्वारा धारण किया गया पद, इसलिए, याचिकाकर्ता को, जैसा कि मांगा गया है, अनुतोष दी जा सकती

है।उन्होंने **विष्णु एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 1** मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया।

4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपने उत्तर का संदर्भ देते हुए प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का पति स्थायी गैंगमैन था और उसकी मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था, इस प्रकार, उसे कलेक्टर दर के अनुसार वेतन का भुगतान किया गया।चूंकि याचिकाकर्ता का रोजगार विभाग द्वारा नियमित नहीं किया गया था, क्योंकि उसकी नियुक्ति वर्ष 1999 में हुई थी, जबकि परिपत्र दिनांक 05.03.2008 में कट ऑफ डेट "31.12.1997" दी गई थी और व्यक्ति, जो पूर्वोक्त अवधि के बाद नियुक्त हुए हैं, नियमितीकरण का दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं, इसलिए, याचिकाकर्ता का रोजगार नियमित नहीं किया गया है, इस तरह, वह मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) कार्यभारित और आकस्मिक भुगतान वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1977 के अनुसार वेतनमान प्राप्त करने की हकदार नहीं है, इसलिए, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है तथा उपरोक्त नियमों के सुसंगत प्रावधानों की भी परीक्षण किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. प्रस्तुतीकरण के दौरान जब राज्य के विद्वान अधिवक्ता से विशिष्ट प्रश्न किया गया कि लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा शर्तें किस नियम के अंतर्गत शासित होती हैं, तो वे न्यायालय को यह नहीं बता सके कि ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें किस नियम के अंतर्गत शासित होती हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना छत्तीसगढ़ (कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के अंतर्गत शासित होता है।

7. छत्तीसगढ़ सरकार ने विभागों के लिए 'आदर्श नियम' तैयार किया है, जिसका नाम है 'कार्यभारित और आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें नियम, 1975 (इसके बाद से 'नियम, 1975')। उक्त नियम, 1975 के तहत कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें शासित होती हैं। मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) ने भी छत्तीसगढ़ (कार्यभारित और आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 तैयार किया है, जिसके तहत ऐसे श्रेणी के कर्मचारियों की पेंशन शासित होती है।

8. कार्यभारित और आकस्मिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतनमान मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) कार्यभारित और आकस्मिक वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1977 द्वारा शासित होता है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत तैयार किया गया था, जिसमें गैंगमैन का पद अनुलग्नक–1, संशोधित वेतनमान (नियम 3 देखें) में क्रम संख्या (xxvii) पर, "कार्यप्रभारित या आकस्मिक वेतन पाने वाले कर्मचारी द्वारा धारित पद का नाम" कॉलम के अंतर्गत दिखाया गया था।

9. नियम 1975, नियम 1977 और नियम 1979 के संयुक्त वाचन से ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरवादी विभाग द्वारा "गैंगमैन" नामक एक पद नियुक्त किया गया है और उनकी सेवा शर्तों, वेतनमान, पेंशन

आदि को विनियमित करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधिकार के तहत राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त नियम तैयार किए गए हैं। हालांकि, नियम 1975 में कर्मचारियों को नियमित करने या स्थायी दर्जा देने के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।परंतु नियम, 1979 के नियम 2 (सी) में 'स्थायी कर्मचारी' की परिभाषा दी गई है जो इस प्रकार हैः–

"2(सी)।'स्थायी कर्मचारी' का तात्पर्य आकस्मिक वेतन पाने वाले कर्मचारी या कार्यभारित कर्मचारी से है, जिसने 1 जनवरी, 1974 को या उसके बाद पंद्रह वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली हो।"

10. इस प्रकार, नियम 1979 के नियम 2(सी) के अनुसार, कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी पंद्रह वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद "स्थायी कर्मचारी" का दर्जा प्राप्त कर लेंगे।

11. कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं।उनकी दयनीय स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए, प्राधिकारियों ने 15 वर्ष या उससे अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनके नियमितीकरण या उन्हें स्थायी दर्जा देने के संबंध में उचित आदेश पारित नहीं किया।हालांकि, सचिव, **कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी (3) एवं अन्य 2** के मामले में निर्णय पारित होने के बाद, राज्य सरकार ने आकस्मिकता/कार्यभारित कर्मचारी के नियमितीकरण के लिए वर्ष 2008 में परिपत्र जारी किया है, परंतु केवल उस आदेश की आड़ में, राज्य सरकार कम वेतन वाले कर्मचारियों के भाग्य का शोषण नहीं कर सकती है, जिन्होंने प्रतिवादी–विभाग के साथ 15 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है, केवल इसलिए कि सक्षम प्राधिकारी ने आदेश पारित नहीं किया है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसके अलावा, इस न्यायालय की खंडपीठ ने लखनराम साहू एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य तथा अन्य संबंधित मामलों 3 के कंडिका 8 में टिप्पणी की है, जो इस प्रकार है:"8. अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता दैनिक वेतन पर विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए थे। आकस्मिकता नियम, 1975 के नियम 6 में प्रावधान है कि कार्यभारित प्रतिष्ठान में 'अस्थायी' और 'स्थायी' कर्मचारी शामिल होंगे। आकस्मिकता नियम, 1975 के नियम 7 में तीन अलग–अलग स्रोतों से नियुक्ति का प्रावधान है। सीधी भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण। आकस्मिकता नियम, 1975 के नियम 4(2)(बी) में प्रावधान है कि आकस्मिकता नियम, 1975 के लागू होने के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारी पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अस्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करेंगे।यदि अस्थायी स्थिति का अधिग्रहण किसी वैधानिक प्रावधान के आधार पर होता है, तो उसके तहत निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन, लाभ स्वतः ही प्रवाहित होता है। उस वैधानिक स्थिति को प्रदान करने वाले औपचारिक विशिष्ट आदेश की अनुपस्थिति उन लोगों को इसका लाभ नहीं छीन सकती जो आवश्यकता को पूरा करते हैं।अन्यथा धारण करने से एक असंगत स्थिति पैदा होगी, जहां कोई व्यक्ति वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन फिर भी उत्तरवादी की दया पर रहेगा, जो रिट अपील संख्या 281/2013 और अन्य संबंधित मामलों, 26.02.2025 को तय किए गए वैधानिक प्रावधान को निरर्थक बनाने के लिए आवश्यक औपचारिक आदेश जारी कर सकते हैं या नहीं भी कर

सकते हैं।इस तरह की व्याख्या न केवल मनमानी होगी बल्कि नियम बनाने वाले की मंशा के भी खिलाफ होगी, जिससे स्पष्ट रूप से टाले जा सकने वाले वाद पैदा होंगे। विवादित दावे स्वाभाविक रूप से एक अलग श्रेणी में आएंगे।

13. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने **विष्णु एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (सुप्रा)** मामले में **निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:---**

"13. गुलाब सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 4 मामले में निर्णय देते समय 1977 के नियम और 1979 के पेंशन नियम न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाए गए। 1976 के नियम 6 के तहत जो कर्मचारी 1–1–1974 को कम से कम पंद्रह वर्ष से सेवा में थे, वे स्थायी कार्यभारित या आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी का दर्जा पाने के पात्र थे। 1979 के नियमों द्वारा इसे और अधिक उदार बनाया गया है।1979 के नियमों के नियम 2(सी) में प्रावधान है कि आकस्मिक वेतन पाने वाला कर्मचारी या कार्यभार वाला कर्मचारी जब भी अपनी सेवा के पंद्रह वर्ष पूरे कर लेता है, तो वह स्थायी कर्मचारी बन जाता है, भले ही यह 1–1–1974 के पश्चात् हो सकता है।

15. विधि का यह सर्वविदित सिद्धांत है कि जब दो अलग–अलग नियमों में अलग–अलग प्रावधान हों, तो कल्याणकारी राज्य में कर्मचारियों के लिए जो अधिक लाभकारी हो, उसे स्वीकार करना होगा।

xxxx

14. वर्तमान ही में, **जग्गो बनाम भारत संघ 5 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:---**

"26. जबकि उमा देवी (सुप्रा) में निर्णय ने पिछले दरवाजे से प्रवेश की प्रथा को कम करने और संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करने वाली नियुक्तियों को सुनिश्चित करने की मांग की, यह खेदजनक है कि इसके सिद्धांतों को अक्सर त्रुटिपूर्ण तरीके से व्याख्या किया जाता है या लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों के वैध दावों को नकारने के लिए त्रुटिपूर्ण तरीके से लागू किया जाता है। इस निर्णय का उद्देश्य "अवैध" और "अनियमित" नियुक्तियों के बीच अंतर करना था। इसने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि अनियमित नियुक्तियों में कर्मचारी, जो विधिवत स्वीकृत पदों पर लगे हुए थे और दस साल से अधिक समय तक लगातार सेवा कर चुके थे, को एकमुश्त उपाय के रूप में नियमित करने पर विचार किया जाना चाहिए।हालांकि, निर्णय के प्रशंसनीय आशय को तब विफल किया जा रहा है जब संस्थान इसके निर्देशों पर भरोसा करके कर्मचारियों के दावों को बिना सोचे–समझे खारिज कर रहे हैं, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां उनकी नियुक्तियां अवैध नहीं हैं, लेकिन केवल प्रक्रियागत औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया है। शासकिय विभाग अक्सर उमा देवी (सुप्रा) के निर्णय का उल्लेख देते हुए तर्क देते हैं कि अस्थायी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का कोई निहित अधिकार मौजूद नहीं है, जबकि निर्णय में उन प्रकरण की स्पष्ट स्वीकृति को नजरअंदाज कर दिया गया है जहां नियमितीकरण उचित है।यह चयनात्मक आवेदन निर्णय की भावना और उद्देश्य को विकृत करता है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा प्रभावी रूप से इसे उन कर्मचारियों के विरुद्ध हथियार बनाता है जिन्होंने दशकों से अपरिहार्य सेवाएं प्रदान की हैं।

27. इन विचारों के प्रकाश में, हमारी राय में, सरकारी विभागों के लिए निष्पक्ष और स्थिर रोजगार प्रदान करने में उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।अस्थायी आधार पर श्रमिकों को लम्बे समय तक नियुक्त करना, विशेषकर जब उनकी भूमिका संगठन के कामकाज का अभिन्न अंग हो, न केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन करता है, बल्कि संगठन को विधिक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी विवश करता है और कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करता है।निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं को सुनिश्चित करके, सरकारी संस्थाएँ अनावश्यक मुकदमेबाजी के बोझ को कम कर सकती हैं, नौकरी की सुरक्षा को बढ़ावा दे सकती हैं, और न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रख सकती हैं, जिनका पालन करना उनका उद्देश्य है। यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और निजी क्षेत्र के लिए अनुसरण करने के लिए एक सकारात्मक मिसाल स्थापित करता है, जिससे देश में श्रम प्रथाओं की समग्र बेहतरी में योगदान मिलता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को उसके पति की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा के आधार पर 24.05.1999 को स्थायी गैंगमैन के पद पर नियुक्त किया गया था, इस प्रकार तत्काल याचिका दायर करने अर्थात 4.10.2020 तक 20 वर्ष बीत जाने के बावजूद उसे स्थायी कर्मचारी/नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया, जो कि पेंशन नियम, 1979 के नियम 2(सी) में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है, क्योंकि 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात अर्थात वर्ष 2014 में याचिकाकर्ता को स्थायी/नियमित कर्मचारी का दर्जा मिल जाना चाहिए था, ऐसे में उसे मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1977 के अनुसार निश्चित नियमित वेतनमान प्रदान किया जाना है, जो कि उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए मैं वर्तमान याचिका को स्वीकृति देने के लिए इच्छुक महसूस करता हूं।

16. परिणामस्वरूप, यह याचिका को स्वीकृति दि जाती है।उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1977 के अंतर्गत कार्यभारित कर्मचारी के रूप में 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अर्थात 23.05.2014 से निर्धारित नियमित वेतनमान प्रदान करें।

17. जैसा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया है, याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान 31.10.2020 को सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, इसलिए उत्तरवादी को नियम, 1979 के अनुसार याचिकाकर्ता को पेंशन देने का भी निर्देश दिया जाता है।

18. इस आदेश की प्रति प्राप्त होने / प्रस्तुत करने की दिनांक से 60 दिनों की अवधि के भीतर यह अभ्यास शीघ्रता से पूरा किया जाए।इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नही किया जाता है ।

सही/–
(नरेश कुमार चंद्रवंशी)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur